न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जे0एन0मथुरिया आर.ए.एस.

अपील संख्या 44/2007 (223 आर.टी.एक्ट)

आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2007/00091

उनवानी :–

1. पातरिया पुत्र धर्मसिंह जाति जाटव निवासी सालिमपुर तहसील व जिला मथुरा(उ0प्र0)
2. हरप्रसाद पुत्र धर्मसिंह जाति जाटव निवासी सालिमपुर तहसील व जिला मथुरा(उ0प्र0)
3. सुजानसिंह पुत्र हरी चन्द जाति जाटव निवासी सालिमपुर तहसील व जिला मथुरा(उ0प्र0)
4. सुकीराम पुत्र हरी चन्द जाति जाटव निवासी सालिमपुर तहसील व जिला मथुरा(उ0प्र0)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

––––––––––अपीलांट

बनाम

1. ललिता पुत्री चिरंजी जाति जाटव निवासी गुन्सारा तहसील कुम्हेर (मृतक)
1/1–प्रेमवती पुत्री ललिता जाति जाटव निवासी पाहर तहसील छाता जिला मथुरा
1/2–विनोद कुमार पुत्र अमरचंद नवीरा स्व0 ललिता जाति जाटव निवासी ग्राम पाडर तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0(मृतक)
1/2/1–वीरो बेवा विनोद कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम पाडर तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0
1/2/2–रोहताश पुत्र विनोद कुमार नावालिग वरविलायत माता वीरो वेवा विनोद कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम पाडर तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0
1/2/3–धर्मवीर पुत्र विनोद कुमार नावालिग वरविलायत माता वीरो वेवा विनोद कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम पाडर तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0
1/2/4–पूनम पुत्री विनोद कुमार नावालिग वरविलायत माता वीरो वेवा विनोद कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम पाडर तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0
1/2/5–संतोष पुत्री विनोद कुमार नावालिग वरविलायत माता वीरो वेवा विनोद कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम पाडर तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0
1/2/6–चांदनी पुत्री विनोद कुमार नावालिग वरविलायत माता वीरो वेवा विनोद कुमार जाति जाटव निवासी ग्राम पाडर तहसील छाता जिला मथुरा उ0प्र0
2. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार साहब कुम्हेर।

––––––––––––––––रेस्पो

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया. उपखण्ड अधिकारी कुम्हेर दिनांक 28.02.2007

उनवानी ललिता बनाम धर्मसिंह मुकदमा नं. 248 / 2006

उपस्थितिः—

1— वकील अपीलांट श्री लोकेन्द्र नाथ एड.

2— वकील रेस्पोडेन्ट श्री विजयसिंह कुन्तल एड.

निर्णय दिनांकः—11.04.2018

यह अपील अपीलार्थी द्वारा इस आशय की पेश की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 3838 / 0.14, 3941 / 0.02, 3842 / 0.12, 4335 / 0.33, किता 4 रकवा 0.61 एयर गत ख0न0 2266 मिन, 2255 / 1113 मिन 2255 मिन, 1477 / 1113 वाके ग्राम गुन्सारा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर में स्थित है जिसे आगे विवादित आराजी कहा गया है। विवादित आराजी बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगाई गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी नें अपील के तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री मृत व्यक्ति के विरुद्ध पारित की गई है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किया जावे।

बचाव में वकील प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि, प्रत्यर्थी विवादित आराजी के पूर्व हकधारी चिरंजी की एकमात्र वारिस है और उसी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय नें अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। प्रत्यर्थी को अपीलार्थी की मृत्यु के तथ्य का ज्ञान नहीं था। फिर भी यदि उचित समझा जावे तो प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमांड कर दी जावे।

बहस उभयपक्ष के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है, कि चिरंजी अथवा चिरंजी की पुत्री बसंती से अपीलार्थीगण का कोई समंबन्ध नहीं है और न ही अपीलार्थी नें कोई सजरा पेश किया है। ऐसी दशा में यह उचित प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किया जाता है, एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी प्रतिवादी को जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करनें का मौका देते हुए निर्णय पारित किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

यह आदेश आज दिनांक 11.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official